अति आवश्यक
रा०रा०मानव अधिकार आयोग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ 15( )14 / श्रम / प्रमुवसं / 3496-3514 दिनांक 20.8.2015

निमित,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन वर्धन जयपुर / प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर / जयपुर / कोटा / अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक,
(वन्य जीव)जयपुर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर / जोधपुर।
विभागीय कार्य जयपुर / एफपीआरपी जयपुर / आरवीपी कोटा / एवं
प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषयः–वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशों की पालना में कार्य प्रभारित कार्मिकों के टीई प्रकरणों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.12.13 एवं इसके कम में समय समय पर जारी स्मरण पत्रों से निर्धारित प्रपत्र में सूचना स्थानीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को सूचना भिजवाते हुये प्रति वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। मानव अधिकार आयोग द्वारा टी ई प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वांछित प्रमाण पत्र आयोग को प्रकरण में नियत दिनांको को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु तीन बार अवधि बढाने का अनुरोध आयोग से किया गया है। आयोग द्वारा प्रकरण में 12.10.15 तारीख नियत की है तथा बीमा विभाग से सम्पर्क कर टीई के प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने के आदेश दिये है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग सभी प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग को भिजवाये जा चुके है, लेकिन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के मुख्यालय पर हुई चर्चा से इस तथ्य की जानकारी नहीं हो पा रही है कि कितने प्रकरणों में टी ई जारी नहीं हुई है अथवा जारी हो चुकी है। अतः जिन प्रकरणों में टी ई जारी नहीं हुई है उनकी सूचना संलग्न प्रपत्र में 7 दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवावे ताकि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के मुख्यालय को उक्त सूचना उपलब्ध करवाई जाकर लम्बित टी ई प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाया जा सके। **उक्त सूचना ईमेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।**

कृपया इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,
(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

कमांकः– एफ 15( )14 / श्रम / प्रमुवसं / 3515-3615 दिनांक 20.8.2015

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि **उक्त सूचना केवल ईमेल एड्रेस dcfll@yahoo.in पर ही प्रेषित की जावे।**
कम्प्यूटर अनुभाग, बेवसाईट पर अलोड हेतु।

(ए.के.सिंह)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

बकाया टी.ई. के प्रकरणों के संबंध में सूचना

कार्यालय का नाम

1. कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मकारों की संख्या......................
2. अब तक जारी टी ई की संख्या.......................
3. कार्य प्रभारित कर्मकारों जिनकी टी ई जारी नहीं हुई की संख्या ....
4. जिन कार्मिकों की टी ई जारी नहीं हुई है का विवरण निम्न प्रपत्र में भिजवावे।

क.सं.	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	CPF खाता संख्या	प्रति माह CPF अंश दान की राशि	राजकीय अंश दान की राशि	प्रथम नियुक्ति का स्थान	प्रा.निधि खाता संख्या	कर्मचारी के पदस्थापन स्थानों का विवरण	डी डी ओ का नाम मय मो. एवं फोन नं.	पत्र कमांक एवं दिनांक जिससे टी ई प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रेषित किया गया है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष